NRrhlx< 'kklu
foRr foHkkx
nkÅ dY;k.k flag Hkou] eU=ky;

&&&&&0&&&&

<u>NRrhlx< jkT; ds iFke jkT; foRr vk;ksx }kjk fn;s x;s ifronu ij dr dk;Zokgh ifronu A</u>

1- संविधान के 73वें संशोधन के अनुच्छेद 243–झ (1) के खण्ड (ग) तथा 243–म (1) के खण्ड (ग) तथा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन दिनांक 22–08–2003 को वर्ष 2005–2010 की अवधि के लिये निम्नाकिंत विषयेां /सिंद्धातों पर सिफारिश देने के लिये किया गया था:–

i. राज्य के लिये आवश्यक वित्तीय सुधार के उपाय,
ii. राज्य शासन व नगरीय /ग्रामीण स्थानीय निकायों के मध्य बंटन योग्य करों के शुद्ध आगमों के निर्धारण और नगरीय /ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन के बारे में,
iii. ऐसे कर व शुल्क के निर्धारण के बारे में जो स्थानीय निकायों को सौंपे जावें,
iv. राज्य की संचित निधि से स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले सहायक अनुदान के संबंध मे,
v. स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार किये जाने के विभिन्न उपाय ।

2- आयोग का गठन दिनांक 22.08.03 को किया गया था तथा आयोग के गठन संबंधी अधिसूचना के अनुसार आयोग द्वारा यद्यपि दिनांक 31.12.2004 तक राज्य शासन को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, किन्तु आयोग के अनुरोध पर शासन द्वारा यह सीमा समय–समय पर बढ़ाई जाती रही एवं अंतिम बार दिनांक 31.05.2007 तक बढ़ाई गयी । आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन मई, 2007 में छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत किया ।

3- आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

¼v½ <u>xzkeh.k LFkkuh; fudk;ksa ds fy;s ifronu</u>

आयोग की अनुशंसाओं का प्रतिवेदन इस भाग के पृष्ठ (i) से (xviii) पर उपलब्ध है । अनुशंसाये तथा राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :–

(i) **jktLo vrj.k**

1. राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को राज्य में स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (State's net own tax revenue) का 6.62 प्रतिशत अंतरण किया जावे ।

राज्य शासन द्वारा राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (State's net own tax revenue) का 4.79 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाना मान्य किया गया है, जो वर्ष 2007–08 से देय होगा । इस राशि में ग्रामीण निकायों को अधोसंरचना विकास हेतु कुछ योजनाओं जैसे ग्रामीण निर्माण, ग्राम विकास , ग्राम गौरव तथा ग्राम उत्कर्ष के अंतर्गत दी जा रही राशि भी समाहित रहेगी ।

2- आयोग की अनुशंसा है कि ग्रामीण स्थानीय निकायें को वर्ष 2005–06 से रूपये 71.81 करोड़ का स्थापना अनुदान दिया जाये ।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को मान्य नहीं किया गया है ।

3- आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी है कि ग्रामीण स्थानीय निकायें को वर्ष 2005–06 से प्रति व्यक्ति अनुदान के रूप में रूपये 166.48 करोड़ दी जावे ।

राज्य शासन द्वारा इस विषय को तेरहवें वित्त आयोग के समक्ष सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

4- आयोग की अनुशंसा है कि ग्रामीण स्थानीय निकायें को केन्द्र तथा राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन लागत का 3 प्रतिशत अभिकर्ता अनुदान के रूप में दिया जावे ।

राज्य शासन द्वारा वर्तमान में राज्य शासन की योजनाओं हेतु दिया जा रहा अभिकर्ता अनुदान को यथावत रखने तथा केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु 3 प्रतिशत अभिकर्ता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु तेरहवें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है । केन्द्रीय योजनाओं के संदर्भ में निर्णय लेने हेतु केन्द्र सरकार सक्षम है ।

(ii) **lkSai x;s jktLo d s :i e sa ljdkj l s jktLo gLrkarj.k**

1- आयोग द्वारा अनुशंसा दी गयी है कि भूराजस्व, भू–उपकर, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, बिक्री कर के अधिभार, लघु खनिज रॉयल्टी 8.60 करोड़ (वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक बकाया राशि) का भुगतान किया जाय ।

राज्य शासन द्वारा वर्तमान में पंचायतों को उपलब्ध करवायी जा रही राशि को यथावत रखने का निर्णय लिया गया ।

2- आयोग की अनुशंसा है कि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क 1 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत हो एवं स्टाम्प शुल्क में अचल संपत्तियों के विनिमय एवं अनन्त काल की लीज भी शामिल हो ।

राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने तथा स्टाम्प शुल्क में अचल संपत्तियों के विनिमय एवं अनंतकाल की लीज को शामिल करने की अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।

3- आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी है कि भू–राजस्व कर 50% के स्थान पर 250% दर से हो तथा भू–राजस्व संग्रहण के बराबर राज्य अनुदान मिले तथा राशि जिला पंचायतराज निधि में जमा हो । कृषि भूमियों पर विकास कर समाप्त हो एवं भू–राजस्व/ अनिवार्य कर को राज्य सरकार न तो समाप्त करें/न माफ करें/ न छूट दे यदि राज्य सरकार ने कोई कार्यवाहीं कर ली है तो पंचायतों को क्षतिपूर्ति दे।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।

4- आयोग की अनुशंसा है कि ब्रिकी कर पर अधिभार की प्राप्तियों का प्रतिशत 30 के स्थान पर 50 प्रतिशत हो ।

मूल्य संवर्धित कर लागू हो जाने पर बिक्री कर पर अधिभार समाप्त हो जाने के कारण इस अनुशंसा को मान्य नहीं किया गया है ।

5- लघु खनिज रायल्टी ग्राम एवं जनपद पंचायतों को 4:1 के स्थान पर 3:1 अनुपात में दी जाय।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।

6- राज्य प्रशासित मनोरंजन कर राजस्व का 90% नगरीय एवं ग्रामीण पंचायतों को 2:.1 के अनुपात में दिया जावे तथा यह राशि जिलों के जिला पंचायतराज कोष में जमा हो ।

राज्य शासन द्वारा राज्य द्वारा संग्रहित शुद्ध मनोरंजन कर राजस्व को 2:1 अनुपात में शहरी तथा ग्रामीण निकायों को दिया जाना स्वीकार किया गया है ।

7- लघु वनोपज की कुल प्राप्तियों का 30% अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को उपलब्ध करवाया जावे ।

राज्य द्वारा इस अनुशंसा को मान्य नही किया गया है ।

8- कृषि उत्पाद विपणन महासंघ निगम के संग्रहित राजस्व के 80% में से 30% जनपद एवं ग्राम पंचायत को 1:2 के अनुपात में दी जाये । संग्रहित राजस्व के 20% नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को 7:18 के अनुपात में दी जाय। तदानुरूप कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन हो।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।

9- सामान्य भू–उपकर की मैचिंग राशि एवं मनोरंजन कर की राशि सीधे जिला पंचायतीराज कोष में जमा हो ।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।

10- वर्ष 2007–08 एवं इसके आगे से राज्य सरकार निश्चित रूप से राज्य वित्त आयोग अंतरण के अंतर्गत अपने शुद्व कर राजस्व का एक निर्धारित प्रतिशत एवं सौंपे गये राजस्व के अंतर्गत वचनबद्व राशियों को पूर्णतः जारी करेगी ।

वर्तमान में मध्यप्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार संपूर्ण राशि अंतरित की जा रही है ।

(iii) **ipk;rk }kjk vkrfjd jktLo lxg.k Hkou dj** %&

¼v½ jkT; 'kklu }kjk fuEu vu'klvk dk Lohdkj fd;k x;k g rFkk bl gr vfxe dk;okgh i'klдh; foHkkx }kjk dh tkoxh %&

- संपत्ति कर पूंजीगत मूल्य के स्थान पर निर्मित क्षेत्र पर किया जाये। निजी, व्यापारिक कच्चे पक्के भवन आदि परिभाषित किये जावें ।
- कच्चे रिहायशी भवन (निश्चित क्षेत्र) को संपत्ति कर से मुक्त रखा जाए ।
- भवनों के वर्गीकरण करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत सचिवों को सौंपा जाये ।
- न्यूनतम एवं अधिकतम भवन कर की दरें सरकार द्वारा निर्धारित हो। परंतु सरकार द्वारा निर्धारित दर की सीमा के भीतर ग्राम पंचायत दरें निर्धारित कर सकेंगी।
- केवल सरकारी एवं पंचायत भवन को छोड़कर शेष सभी वर्गों के भवनों को भवनों पर कर के दायरे में लाया जावे ।
- जनपद पंचायत के नाट्यशाला कर के स्थान पर चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों पर कर लगाया जावे तथा ग्रामों पंचायतों को शेष सभी गैर चलचित्रदर्शी प्रदर्शनों पर कर लगाने दिया जावे ।
- जनपद तथा जिला पंचायतों को राज्य उत्पादन कर पर अपने–अपने क्षेत्राधिकारों में 10 प्रतिशत अधिभार लगाने की अनुशंसा के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा यह अधिभार राज्य स्तरं पर अधिरोपित कर इसे जनपद तथा जिला पंचायतों को हस्तांतरित करने को स्वीकार किया गया है ।

¼c½ <u>jkT; 'kklu }kjk fuEu vuq'kalkvksa dks ekU; fd;k x;k gS</u> ½&

- जनपद पंचायत के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समकक्ष पंचायत कर अधिकारी का पृथक कैडर स्थापित किया जाएं।

- जनपद पंचायत के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत कर अधिकारी जिला पंचायत के नियंत्रण में होंगे जो हर तीन वर्ष में कर योग्य भवनों के मूल्य निर्धारण हेतु पुर्नमूल्यांकन/पुर्ननिर्धारण करेंगे ।

- गैर आदिवासी क्षेत्रों में भवन कर पर 50% नागरिक सेवा कर लगाएं।

- निजी शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, जल कर को विलोपित किया जाये।

- सार्वजनिक विशेष निर्माण कार्यो पर अस्थायी कर केवल गैर आदिवासी क्षेत्र में हो तथा कर के लिये जन सहयोग के मैचिग ग्रान्ट को 50% के स्थान पर 40% किया जाये।

- कर के लिये पंचायत निरीक्षक/पंचायत कर अधिकारी को अधिकृत किया जाएं।

- जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क राशि पर क्रमशः 50% एवं 100% अधिभार लगाने की अनुशंसा की गई है।

- भू–राजस्व उपकर रूपये 2.50 से बढ़ाकर 10 रूपये किया जाना ।

¼l½ jkT; ljdkj }kjk fuEufyf[kr vuq'kalkvksa ds lca/k esa ;g fu.kZ; fy;k x;k gS fd iz'kkldh; foHkkx }kjk bu vuq'kalkvksa ds fdz;kUo;u gsrq ;fn vf/kfu;e vFkok fu;e esa la'kks/ku vko';d gks rks fof/k foHkkx ds lkFk ijke'kZ dj vko';d izLrko ef=ifj"kn ls vuqeksfnr djok;k tk;xk ½&

- ग्राम पंचायतों द्वारा अनिवार्य अधिरोपणों को नहीं लगाये जाने पर तथा वसूल नहीं करने पर आयोग द्वारा दी गयी अनुशंसाओं अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करना ।

- ग्राम पंचायतों द्वारा प्रत्येक 5 वर्षो में कर की दरें पुनरीक्षित कर बढ़ाया जावेगा तथा आंतरिक राजस्व में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि करनी होगी ।

- कृषि भूमि पर विकास कर लगाने की प्रथा समाप्त की जाये।

(iv) **<u>vk;ksx ds ckjgosa foRr vk;ksx ls lacaf/kr vuq'kalk;sa ekU; dh x;h gSa D;ksafd ;g vuqnku forj.k dsUnzh; foRr vk;ksx ds fn'kkfunsZ'kkuqlkj fd;k tkrk gS A</u>**

(v) **jktdks"kh; iSdst ds vkxs**

jkT; 'kklu }kjk fuEu vuq'kalkvksa dks ekU; fd;k x;k gS ftlesa vfxze dk;Zokgh iz'kkldh; foHkkx }kjk dh tkosxh %&

- आतंरिक परीक्षण के लिए पंचायत विभाग के अंकेक्षको के पदनाम ‘‘पंचायत आतंरिक अंकेक्षक’’ किया जाय तथा इनसें पंचायतों के आतंरिक अंकेक्षण के साथ–साथ प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रबंधन के सलाहकार के रूप में कार्य लिया जाय।

- अंकेक्षण एवं लेखा कार्य में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों का लेखा प्रशिक्षण निरंतर हो।

- अंकेक्षण के लिये विशेष अभियान चलाये जाये तथा नियमित रूप से किये जाएं।

- फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज का हस्तांतरण पंचायतों को किया जाय।

- पंचायतों के क्रियाकलापों, नियमों की समीक्षा कर आवश्यक परिवर्तन हो ।

jkT; 'kklu }kjk fuEu vuq'kalkvksa dks vekU; fd;k x;k gS %&

- ऑडिट फीस वसूली समाप्त हो ।

- पंचायत राशियों के गबन, अनियमितता, धोखाधड़ी, दुरूपयोग आदि दोषी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाहीं का अधिकार स्थानीय संपरीक्षा निधि के ऑडिटरों को दिया जाय।

- पंचायत पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों सुदृढ़ीकरण किया जाय।
  स्थानीय संपरीक्षा निधि संचालनालय में अंकेक्षण स्टाफ में वृद्धि की जाय। वित्त विभाग द्वारा गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जावे ।

- पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं की आंकलन हेतु विषय विशेषज्ञों की समिति गठित हो ।

- ग्राम पंचायतों में राशि का आहरण पंचायत कर्मियों के हस्ताक्षर से न हो केवल सरपंच एवं नियमित सचिवों के हस्ताक्षर से हो।

- राजस्व देने वाले लाभकारी उद्यमों को ऋण पूंजी जुटाकर प्रारंभ करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये ।

- स्थानीय शासन सेवा गठन पर विचार हो ।

¼c½ 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa ds fy, ifrosnu

आयोग की अनुशंसाओं का प्रतिवेदन इस भाग के पृष्ठ (i) से (xiii) पर उपलब्ध है । अनुशंसायें तथा राज्य शासन द्वारा लिये निर्णय निम्नानुसार है :–

(i) jktLo varj.k

1- आयोग की अनुशंसा है कि राज्य सरकार के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8.287 प्रतिशत भाग अधिनिर्णय अवधि 2005–2010 के प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायेां के हिस्से में जाना चाहिये । इसके आधार पर निर्धारित राशि को पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों में 2001 की जनगणना अनुसार ग्रामीण निकायों को 79.91 प्रतिशत तथा नगरीय निकायों को 20.09 प्रतिशत का अंतरण किया जाना चाहिये ।

राज्य सरकार द्वारा शुद्ध कर राजस्व का 6 प्रतिशत हिस्सा का अंतरण स्वीकार किया गया है जिसमें ग्रामीण निकायों को 479 प्रतिशत तथा शहरी निकायेां को 121 प्रतिशत अंतरित किया जावेगा । इसमें वर्तमान में नगरीय निकायों को दी जा रही अधोसंरचनात्मक अनुदान की राशि समायोजित की जावेगी ।

2- आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के बीच आबंटन के मापदंड हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गयी है :–

मापदंड भार	(प्रतिशत)
1. जनसंख्या	80
2. क्षेत्रफल	10
3. नगरीय स्थानीय निकाय की गंदी बस्ती जनसंख्या	10

राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार विभाजन सूत्र स्वीकार किया गया है जो कि सभी प्रकार के अंतरण हेतु लागू होगा :–

मापदंड भार	(प्रतिशत)
1. जनसंख्या	70
2. क्षेत्रफल	10
3. गंदी बस्ती	10
4. राजस्व प्रयास	10

3- कर हिस्सेदारी के अतिरिक्त आयोग ने अनुशंसा की है कि अधिनिर्णय अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिए सामान्य उद्देशीय अनुदान के रूप में रू.16.00 करोड़ का आवंटन दिया जाएं तथा प्रतिवर्ष इसे 1 करोड़ बढ़ाया जावे।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को वर्ष 2007–08 से दिये जाने हेतु स्वीकार किया गया है ।

नगरीय स्थानीय निकायों के बीच आपस में राशि के वितरण हेतु आयोग ने निम्नलिखित मापदंडों की उनके भार सहित अनुशंसा की है :–

मापदंड भार	(प्रतिशत)
1. जनसंख्या	10
2. राजस्व प्रयास	40
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुविधा पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति व्यय से दूरी	50

राज्य शासन द्वारा इस अंतरण सूत्र को अमान्य किया गया है ।

4. कतिपय करों के एवज में क्षतिपूर्ति तथा सौंपे गये राजस्व के रूप में राज्य सरकार के द्वारा किए जाने वाले हस्तांतरणों में 15 प्रति. वार्षिक की वृद्धि की अनुशंसा एवं चुंगी क्षतिपूर्ति में प्रत्येक वर्ष पिछले की राशि में प्रवेश कर में वृद्धि दर के आधार पर वृद्धि ।

राज्य शासन द्वारा संबंधित मदों में वास्तविक वार्षिक वृद्धि के आधार पर राशि का अंतरण किया जाना स्वीकार किया गया है । वाणिज्यकर अधिभार समाप्त होने के कारण इसकी क्षतिपूर्ति मान्य नहीं की गई है । प्रवेश कर हेतु वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है ।

5. मनोरंजन कर को सौंपे गये राजस्व में सम्मिलित किया जावे ।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को मान्य किया गया है ।

6. नगरीय निकायों को यात्रीकर क्षतिपूर्ति के रूप में राजस्व को समाप्त कर इसे सामान्य अनुदान के रूप में नगरीय निकायों को दिया जावे ।

राज्य शासन द्वारा यात्री कर क्षतिपूर्ति को यथावत रखते हुये सामान्य उद्देशीय अनुदान को रूपये 8 करोड़ प्रतिवर्ष दिया जाने को मान्य किया गया है ।

(ii) राजकोषीय नीतिगत अनुशंसाएं– इसमें मान्य की गई अनुशंसायें हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी ।

1. राशि का निर्धारण एवं उनका वितरण सुपरिभाषित नीति के आधार पर होना चाहिए ।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को मान्य किया गया है ।

2- सहायता अनुदानों पर व्यवस्थित वर्गीकरण किया जाए तथा अनुदानों के उपयोग की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा के लिए एक समुचित प्रणाली की जानी चाहिए।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को मान्य किया गया है ।

3. राज्य सरकार से नगरीय निकायों को होने वाले हस्तांतरणों, सहायता अनुदान एवं समाप्त किए गए कतिपय करों के एवज में क्षतिपूर्ति को एक साथ नहीं रखना चाहिए ।

राज्य शासन द्वारा वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है ।

4. कोष के हस्तांतरण की प्रक्रिया,प्रगामी, पारदर्शी एवं सोउद्‌देशय होनी चाहिए ।

राज्य शासन द्वारा इस अनुशंसा को मान्य किया गया है ।

5- आयोग के बारहवें वित्त आयोग से संबंधित अनुशंसायें अमान्य की गई है क्योकि इस अनुदान की वितरण केन्द्रीय वित्त आयेाग के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है ।

(iii) <u>राजकोषीय पैकेज से आगे</u>—

(अ) **jkT; 'kklu }kjk fuEu vuq'kalkvksa dk ekU; fd;k x;k gS rFkk blsa vfxze dk;Zokgh iz'kklfud foHkkx }kjk dh tkoxh ¼&**

- राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में एक अध्याय राज्य के स्थानीय निकायों की गतिविधियां होना चाहिये । आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को प्रति—वर्ष सर्वेक्षण तैयार करने में सलाह देने के लिये एक छोटे संपादकीय मंडल का गठन किया जावे ।

- आंकड़ों एवं लेखा संबंधी कार्यों के लिये प्रणाली विकसित की जानी चाहिये। जिससे भविष्य में विश्वसनीय आंकड़े एवं लेखें प्राप्त हो सके ।

- लेखा प्रणाली सुधार चार्टर्ड एकाउन्टेड, महालेखाकार तथा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के मार्गदर्शन में लेखा प्रणाली एवं डाटा आधार तैयार किया जाये ।

- राज्य के नगरीय निकायों में नगरीय प्रशासन एवं विकास सुधार को विशेषज्ञता के मामले में सुदृढ़ किया जाए।

- भारत सरकार के द्वारा नगरीय सुधार के उपायों के साथ—साथ शर्तें लगाने की प्रक्रिया दी गयी है । इस संबंध में शर्तों की गहन समीक्षा की जाए ।

- राज्य आयोजना मण्डल के एक सदस्य को राज्य वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है । अगले वित्त आयोग में इसका ध्यान रखा जाए।

- नगरीय स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ।

- आयोग की अनुशंसा नगरीय निकायों कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने हेतु एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के स्थान पर राज्य शासन द्वारा प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाना मान्य किया गया है ।

- नगरीय निकायों को विद्युत बिलों में उनकी ढांचागत लागत के अनुपात में शुल्क प्राप्त होना चाहिये। सरकार विद्युत नियामक आयोग को अनुरोध कर नगरीय निकायों के लिये शुल्क निश्चित कराएं । राज्य शासन द्वारा इस संबंध में उर्जा विभाग से अभिमत प्राप्त कर आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

- नगरीय स्थानीय निकायों की संपत्तियों एवं आस्तियों की सूची तैयार की जाए । नगर प्रशासन को नयी वित्तीय एवं अन्य साझेदारियां विकसित करनी होगी तथा स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक एवं निजी सहयोग के नए स्वरूप को स्थापित करने होंगे । राज्य शासन द्वारा इसे सैद्धातिक रूप से मान्य किया गया है ।

- कार्यों एवं दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण की अनुशंसा की गयी है ।

- नगरीय निकायों के सेवाओं के निजीकरण की संभावना। राज्य शासन द्वारा मान्य किया गया है ।

¼c½ jkT; 'kklu }kjk fuEu vuq'kalkvksa dk vekU; fd;k x;k gS %&

- नगरीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण एवं नगर निवेश जैसी संस्थाओं को समाप्त कर नगरीय निकायों में सम्मिलित किया जाए ।

- नगरीय निकाय प्रशासन के लिये पेशेवरों की एक पृथक राज्य सेवा का गठन किया जाए ।

- संपत्ति कर में छूट सूची को पुनरीक्षित किया जाए।

- नगरीय स्थानीय निकायों के क्रियाकलापों एवं निष्पादन पर एक स्थिति पत्र तैयार किया जाये एवं इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए ।

(स) राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा परीक्षण उपरांत सक्षम स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है :–

- 1 लाख से अधिक जन–संख्या वाली स्थानीय निकायों में वार्ड समितियों का विशिष्ट कार्यों के साथ गठित करने की कार्यवाही तेज की जाए।

- पेयजल की दरों के निर्धारण हेतु ऊर्जा नियामक अधिकरण की भांति नियामक अधिकरण का गठन ।

- आयोग की नवीन करों के लिए अनुशंसा ।

(iv) **vk;ksx }kjk vuq'kafLr** केन्द्र सरकार के ध्यानार्थ समस्त अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जाने का निर्णय लिया गया है ।

वित्त मंत्री

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2009